

प्रेषक,

जी०पी० कमल,  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,  
खाद्य एवं रसद विभाग  
जवाहर भवन लखनऊ

खाद्य तथा रसद अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 6 मार्च, 2018

विषय- जनपद गाजीपुर के विपणन केन्द्र करन्डा पर स्थित श्रीमती आरती सिंह पत्नी श्री अशोक सिंह के गोदाम किराया स्वीकृति के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं० ले०शा०/1967/15-1/गोदाम/2018, दिनांक 09-02-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा रिट याचिका सं०-54969/2017 श्रीमती आरती सिंह व अन्य बनाम स्टेट व अन्य के क्रम में स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गाजीपुर के केन्द्र करण्डा पर स्थित श्रीमती आरती सिंह पत्नी श्री अशोक सिंह के गोदाम किराये में 20 प्रतिशत वृद्धि करते हुए श्रीमती आरती सिंह द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के दिनांक 11-08-2015 से आगामी पांच वर्षों तक उक्त गोदाम का किराया रू० 24192.00 (रू० चौबीस हजार एक सौ बानवे मात्र) प्रति माह भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त दर से किराया भुगतान किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत गोदाम हेतु किराये के रूप में यदि कोई धनराशि पूर्व में भुगतान की गयी हो तो उसका उपरोक्तानुसार समायोजन करते हुए अन्य अवशेष औपचारिकताएं भी अवश्य पूर्ण कर ली जाय।

4- उक्त मद में होने वाला वयय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान सं०-21 के लेखाशीर्षक 4408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय-01-खाद्य-101-अधिप्रापित तथा पूर्ति-03-अन्न पूर्ति योजना-43-सामग्री एवं समपूर्ति के नामे डाला जायेगा।

--/2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5- यह आदेश प्रशासकीय विभागों को वित्त विभाग द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(जी०पी० कमल)

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार (लेखा) प्रथम 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/प्रथम सी०ए०एस०एस०।।टी०ए०डी० कोआर्डिनेशन 30प्र0 इलाहाबाद।
- 3- वित्त नियंत्रक खाद्य तथा रसद विभाग जवाहर भवन लखनऊ।
- 4- संभागीय खाद्य नियंत्रक वाराणसी संभाग वाराणसी।
- 5- श्रीमती आरती सिंह पत्नी श्री अशोक सिंह, ग्राम लखनचन्दपुर, करण्डा गाजीपुर।
- 6- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(जी०पी० कमल)

विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।